राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर

क्रमांकः एफ.13(   )लेखा/अंकेक्षण/विविध/2011–12/ दिनांकः

1. **समस्त अति. निदेशक (क्षेत्र),**
   पशुपालन विभाग.
2. **समस्त संयुक्त निदेशक**
   पशुपालन विभाग,

विषयः– पुनरीक्षित नवीन वेतनमान 2017 (संशोधित) का वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन बाबत।

विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक 6924 दिनांक 09.11.2017 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान नियम 2017 जो कि दिनांक 01.10.2017 से प्रभावशील किये गये थे, के वेतन स्थिरीकरण का अनुमोदन हेतु निर्देशित किया गया था। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित) वेतनमान नियम 2017 के सम्बन्ध में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.12.2017 द्वारा 01.10.2017 के स्थान पर 01.01.2016 से लागू किये जाने के कारण उक्त आदेशों को संशोधित करते हुये ये निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के सम्बन्ध में विकल्प पत्र प्राप्त कर सेवा पुस्तिकाओं की पूर्ण जांच के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र अंकित करते हुये वेतन स्थिरीकरण प्रपत्र दिनांक 20.01.2017 तक तैयार कर निदेशालय को सूचित करावें, ताकि निदेशालय स्तर से वेतन स्थिरीकरण प्रपत्रों के अनुमोदन हेतु टीम भिजवायी जा सके। अति आवश्यक समझें।

(हरिशंकर शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांकः एफ.13(   )लेखा/अंकेक्षण/विविध/2011–12/ 88-136 दिनांकः 04-01-2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. अति. निदेशक (उत्पादन/स्वास्थ्य/फार्म एवं सम्पदा), निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर।
4. अति. निदेशक, प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई, जामडोली, जयपुर।
5. ACP को विभागीय साईट पर Upload करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

A.O. letters